E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 823 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, सितम्बर 29, ,2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– जनपद चमोली में आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.383 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/14620/2021

सन्दर्भ– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक** 08बी/यू0सी0पी0/06/137/2021/एफ0सी0/463 दिनांक 30.06.02022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1348/12–1 दिनॉक 13.09.2022 से अवगत कराया गया है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग थराली द्वारा अपनी पत्र सं0 1537/36सी0 दिनांक 26.08.2022 (संलग्नक) से निम्नप्रकार प्रेषित किया गया है:–

क्र0	भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना	आख्या
1	बिन्दु सं0 01 के जवाब में पाया गया कि ग्राम आलयू की वर्तमान मार्ग से पैदल मार्ग दूरी 500मी0 है। IRC norms के अनुसार 500मी0 पैदल दूरी तक गांव को संयोजित माना जाता है। अतः राज्य सरकार IRC norms की प्रति के साथ प्रस्ताव को प्रेषित करने का कष्ट करे।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1348/12–1 दिनॉक 13.09.2022 से अवगत कराया गया है कि शासनादेश सं0 8167/।।। (2)/18–5 (सामान्य9 /2018 दिनांक 31. 12.2018 के अनुसार 100मी0 ऊध्वार्धर (Vertical) की दूरी पर ग्राम संयोजित माना जाता है की प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है। IRC norms की प्रति संलग्न है।
2	बिन्दु सं0 02 के सापेक्ष में दिया गया स्पष्ट्रीकरण मान्य नहीं है मार्ग को घने वन क्षेत्र से प्रस्तावित किया गया है। जबकि इसको वृक्ष–विहीन अथवा बिरल क्षेत्र से भी प्रस्तावित किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार वैकल्पिक समरेखण का चयन कर नवीन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1348/12–1 दिनॉक 13.09.2022 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित कार्य स्थल का निरीक्षण प्रयोक्ता एजेन्सी व वन विभाग के द्वारा किया गया, उक्त मोटर मार्ग का निर्माण जिस क्षेत्र के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है वहां का सम्पूर्ण भू–भाग घने वन क्षेत्र से आच्छादित है। प्रस्तावित चयनित संरेखण का चुनाव कम से कम वृक्षों को क्षति पहुंचाते हुए की गयी है। अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग निर्माण में चयनित संरेखण ही सबसे अधिक उपयुक्त है तथा भू–वैज्ञानिक द्वारा भी चयनित संरेखण पर ही सड़क निर्माण की संस्तुति प्रदान की गयी है, यदि मार्ग के निर्माण में किसी अन्य वैकल्पिक संरेखण पर विचार किया जाता है तो वह तकनीकी दृष्टि (जैसे मार्ग का ग्रेड व एच0पी0 बैण्ड की चौड़ाई इत्यादि) से उपयुक्त प्रतीत नही हो रहा है। अथवा मार्ग की लम्बाई अधिक हो जा रही है मार्ग की लम्बाई अधिक हो जाने के कारण अधिक मात्रा में वन सम्पदा को क्षति पहुंचेगी व भूस्खलन की संभावना भी बढेगी। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण होने से यह मार्ग एक लिंक रोड़ के रूप में कार्य करेगा। जिससे परखाल चोपता मोटर मार्ग व परखाल डुंग्री मोटर मार्ग आपस में जुड़ जायेगें उक्त मार्ग के निर्माण होने से मात्र ग्राम आलयू के साथ–साथ ग्राम डुंग्री, रेंगांव, सिलकोटी व सीरी के निवासियों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

JAIDEEP